

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-1/बैंक खाता/2016-17/॥

दिनांक: 6/7/16

उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।

विषय:- विभागीय अधिकारियों/विभागों/बोर्ड/निगमों/संस्थाओं के बैंक खातों की समीक्षा के क्रम में।

संदर्भ:- संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक प. 1(20)प्राशि/आयो./2015 दिनांक 21-4-2016, विशिष्ट शासन सचिव (बजट) की अ.शा.टीप क्रमांक प.21(2)विमा/2010 दिनांक 11-4-2016, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग का पत्र क्रमांक प.23(2)प्राशि/आयो./2015 दिनांक 30.06.2016 एवं शासन सचिव वित्त(बजट), वित्त (मार्गोपाय) विभाग राजस्थान जयपुर की अ.शा. टीप क्रमांक प.21(2)विमा/2010 दिनांक 28.06.2016 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.4.2016. एवं 30.05.2016


उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र तथा अ.शा. टीप की प्रति आपको प्रेषित कर आपके कार्यालय तथा आपके मण्डल/जिले में स्थित प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय के बैंक खातों की सूचना संकलित कर समेकित सूचना निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस में भिजवाने हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आपको लिखा गया था।

लेकिन खेद का विषय है कि आपके द्वारा उक्त सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

अतः पुनः लेख है कि संलग्न प्रपत्र अनुसार बांछित समेकित सूचना सॉफ्ट कॉपी (एक्सल में) तथा हार्ड कॉपी (हस्ताक्षरित स्केन कर) इस कार्यालय की मेल आई.डी. budgetele.edu@gmail.com पर तत्काल भिजवावें।

सूचना प्रेषित नहीं किए जाने पर राज्य सरकार के समक्ष विपरीत स्थिति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।


वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
2. निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT) उदयपुर।
3. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त।
4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।
6. प्रधानाध्यापक, राजकीय विशिष्ट पूर्व प्राथमिक विद्यालय, समस्त।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
8. अनुभागाधिकारी, पेंशन स्थिरीकरण (नियम)/योजना/अंकमिलान अनुभाग।


वित्तीय सलाहकार

क्र. सं.	विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था का नाम	विद्यमान बैंक खातों का विवरण		प्रत्येक बैंक खाता खोलने का उद्देश्य	क्या वित्त विभाग से बैंक खाता खोलने की स्वीकृति प्राप्त की गई थी (हां/नहीं)	दिनांक 31.03.16 को शेष राशि	विशेष विवरण
		खाता संख्या एवं प्रकार	बैंक का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8

- नोट :- 1. कृपया बोर्ड/निगम/संस्था के अधिकारी अपने साथ बोर्ड/निगम/संस्था के गठन की अधिसूचना/अधिनियम की प्रति, बोर्ड/निगम/संस्था के गठन के उद्देश्य, आय के स्रोत, गत तीन वर्षों के व्यय का मदवार विवरण की सूचना साथ लावें।
2. कालम संख्या 7 में अंकित समस्त राशि का कुल योग अंकित करावें।
3. प्रपत्र की सूचना excel sheet में email address - dswm@rajasthan.gov.in पर कृपया email करने का श्रम करावें।